

Subject :- Sociology Date :- 29/04/2020

Class :- D-II (Subsidiary)

Topic :- भ्रष्टाचार और इसकी विशेषताएँ

By :- Dr. Shyamamand Choudhary

Guest Teacher, Manjari College, Mathura

भ्रष्टाचार

Online Study Material No:- 58

भ्रष्टाचार शब्द के वास्तविक अर्थ से लोग गले ही अपरिचित हैं, किंतु शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हो जो भ्रष्टाचार शब्द से परिचित न हो। यह समस्या किसी एक समाज या राष्ट्र तक ही सीमित नहीं है बल्कि सभी समाजों या राष्ट्रों में पायी जा रही है। अतः इसे एक सार्वभौमिक (Universal) समस्या कहा जा सकता है। अन्तर केवल विभिन्न समाजों में भ्रष्टाचार की प्रकृति, स्वरूप और मात्रा में है। इस समस्या का सम्बन्ध वर्तमान युग में विकसित होने वाले चरित्र के उस संकट से है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों की अहंता करके व्यक्तिगत लाभ के लिए अपने पद का दुरुपयोग करता है और इससे उत्पन्न विफलता के लिए दूसरे व्यक्तियों को उत्तरदायी ठहराया है। आज भ्रष्टाचार समाज में प्रायः प्रत्येक क्षेत्र में व्याप्त है।

भ्रष्टाचार विरोध समिति, 1964 के प्रतिवेदन (Report of the Committee on Prevention of Corruption, 1964) के अनुसार "शब्द के व्यापक अर्थ में एक सार्वजनिक पद या जनजीवन में उपलब्ध एक विशेष स्थिति के साथ संलग्न शक्ति तथा प्रभाव का अनुचित या स्वार्थपूर्ण प्रयोग ही भ्रष्टाचार है। जब कोई व्यक्ति व्यक्तिगत लाभ के लिए अपनी शक्ति का अनुचित रूप में प्रयोग करता है तब साधारणतया इसे ही भ्रष्टाचार कहा जाता है।

M.C. Duggal ने अपनी पुस्तक 'Corruption in Indian Politics & Life' में भ्रष्टाचार को परिभाषित करते हुए लिखा है "भ्रष्टाचार सर्व्वे किसी स्पष्ट या अस्पष्ट लाभ के लिए कानून एवं समाज के विरोध में किया जाने वाला कार्य है।" इस परिभाषा से पता चलता है कि भ्रष्टाचार कानून एवं समाज के विरोध में किया जाने वाला एक कार्य है। साथ ही इस परिभाषा से यह भी पता चलता है कि जब व्यक्ति व्यक्तिगत लाभ के लिए कानून विरोधी या समाज विरोधी कार्य करता है तभी उसे भ्रष्टाचार कहा जा सकता है। अर्थात् भ्रष्टाचार व्यक्तिगत लाभ के लिए किया गया कानून विरोधी एवं समाज विरोधी कार्य है।

Elliot & Mehta के अनुसार "प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्ति हेतु जानबूझकर विहित कर्तव्य का पालन न करना ही भ्रष्टाचार है।" इस परिभाषा के आधार पर यह कहा जा सकता है कि समाज या कानून के द्वारा प्रत्येक पद के साथ कुछ कर्तव्य निर्धारित किए जाते हैं। यदि अनुज्ञान में किसी व्यक्ति से निर्धारित कर्तव्यों के पालन में कोई भूल हो जाए तो इसे भ्रष्टाचार नहीं कहा जा सकता। इसके

विपरीत यदि कोई व्यक्ति अपने पद से सम्बन्धित कर्तव्यों का पालन इसलिए नहीं करता ताकि उसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में कुछ लाभ प्राप्त हो सके तब इसी कार्य या स्थिति को भ्रष्टाचार कहा जाता है।

भ्रष्टाचार की विशेषताएँ : →

भ्रष्टाचार की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं : -

- (1) भ्रष्टाचार मुख्य रूप से एक व्यक्तिगत क्रिया है किन्तु जब भ्रष्टाचार का क्षेत्र व्यापक हो जाता है तब यह एक सामूहिक क्रिया का रूप धारण कर लेता है।
- (2) भ्रष्टाचार का सम्बन्ध व्यक्ति या समूह द्वारा अपने निर्धारित कर्तव्यों का जानबूझकर उल्लंघन करने से है।
- (3) भ्रष्टाचार में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्तिगत लाभ की भावना जुड़ी रहती है।
- (4) यह लाभ भुत्ता या वस्तु के रूप में होता है।
- (5) भ्रष्टाचार में योग्य के प्रति अन्याय एवं अयोग्य के प्रति पक्षपात होता है जिससे समाज निन्दित होने लगती है।
- (6) यह समस्या मुख्य रूप से व्यक्तियों के भ्रष्ट आचरणों से सम्बन्धित है जो समाज में उच्च पदों पर आसीन होते हुए भी जानबूझकर अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं।

उपर्युक्त वर्णन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि एक समाजशास्त्रीय अन्वेषण के रूप में भ्रष्टाचार का तात्पर्य व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले किसी भी ऐसे अनुचित कार्य से है जिससे वह अपने पद का लाभ उठाते हुए आर्थिक एवं अन्य प्रकार के लाभों को प्राप्त करने के लिए करता है। दलदल, विश्वासघात, आलस्य, पक्षपात, रिश्वत या किसी को अनर्हतक जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य करना, चुनाव जीतने के लिए अवैध तरीकों को अपनाना, चोर- डकैत, अपहरणकर्ता आदि को सुरक्षा प्रदान करना ~~आदि~~ आदि भ्रष्टाचार के कुछ मुख्य उदाहरण हैं।

Syamamand
Choudhary
Machhri College
Ambhanga